

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापूर सिटी  
पीठारीन अधिकाशी समकेशोर गीना

अपील संख्या 37/24

तारीख रजु- 25/08/24

1. बनेरिंह पुन हरना जाति गीना निवाशी साम मैडी उम 60 साल निवाशी मैडी तहसील  
वजीरपुर।

-अपीलाशी

बनाम

1. सरकार जरिये नागव तहसीलदार वजीरपुर।

-रजुडेन्ट

निर्णय

दिनांक 06/11/2024

अपीलाशी ने यह अपील राजस्थान भू-राजव अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नागव तहसीलदार वजीरपुर द्वारा गिराल संख्या 141/24 में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलाशी को साम मैडी के आसजी ख0न0 1272 रकबा 0.08 है0 किरम गै0गु0चसगाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से वेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शारित आरोपित करने एवं सिविल कारावारा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्था की तलवी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाशीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहरा सुनी गई।


विद्वान वकील अपीलाशी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहरा में तर्क दिया कि निर्णय उनवानी रूयेदार गिराल होने से काविले निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई व रावूत पेश करने का मौका ही नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दिनांक 20.08.2024 को गिराल दर्ज कर 28.08.2024 का नोटिस जारी किया और उसी दिन फैसला जारी कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को रावूत पेश करने का अवसर नहीं देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की हत्या की है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय से बार-बार कहता रहा कि पटवारी मौके पर नहीं गये हैं। गंयकर पानी बरसात का बरसा रहा है और खेतों में पानी भरा हुआ है। पटवारी हल्का द्वारा बिना नाप तोल के तहसील में बैठकर गलत रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रम माना है जबकि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जो धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है। उसमें तारीख अंकित नहीं है। इसी विनाह पर कथित नोटिस शून्य है तथा नोटिस प्रोपर न होने के अभाव में निर्णय असवैधानिक है और निरस्त योग्य है। उक्त निर्णय में रकबा व पटवारी रिपोर्ट में रकबा भिन्न होने के कारण निर्णय निरस्त योग्य है। वर्तमान में अपील में वर्णित भूमि पर प्रार्थी अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है। तहसीलदार वजीरपुर के पत्रांक 133 दिनांक 25.10.2024 द्वारा उक्त भूमि मौके पर खाली होना अवगत कराया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपील अपीलाशी स्वीकार की जाकर अपीलाशीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेशेकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमण आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान में भी अंकित किया हुआ है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया हुआ था, साथ ही पेशेकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, उस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) को नोटिस जारी किया गया। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतीचारी होने के प्रश्न हैं तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमण तथा बयान में भी अपीलार्थी द्वारा उक्त वाद अराजीयात पूर्व में भी अतिक्रमण करना तथा अपीलार्थी को भौतिक रूप से बेदखल करना अंकित किया हुआ है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( रामकिशोर मीना )  
अति० जिला कलक्टर  
गंगापुर सिटी